

रजिस्टर्ड ए० डी०

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय  
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर-305002  
ई मेल:- [ro.ajmer@ibm.gov.in](mailto:ro.ajmer@ibm.gov.in)



Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of the Regional Controller of Mines.  
Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002  
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

No RAJ/Kota-1/LST-1

Date: 30/9/2016

प्रेषित Agent, M/S Mangalam Cement Ltd.,  
P.O. Aditya nagar - Morak, Tehsil- Ramgunjmandi,  
Distt.- Kota, Rajasthan, Pin Code- 326520

विषय: राजस्थान राज्य के **Kota** जिले में स्थित आपकी **Morak Limestone खान ८९५.४२**  
**हैक्टे मे खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के**  
**नियमों का उल्लंघन (खान कोड संख्या 38RAJ19001)**

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक **06.09.2016** को उपरोक्त खान के निरीक्षण में पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 संशोधित एमसीडीआर 2011 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

नियम

उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा

- 13(1) The Mining operations had not been carried out in accordance to the mining plan approved on 10/6/2016 up to the extent as under.
- 1) As per Para 2.0, page 44, the stripping ratio of 1:0.99 had been proposed, but during the Inspection it was observed to be 1:1.32, which represents that proportional development of pits is not proper.
  - 2) As per Para 8.3.5, it was proposed to cover an area of 5.67 ha under afforestation on backfilled area, where as only 4.5 ha had been covered under backfilling.
- 23E(2) The annual compliance report (2015-16) of the work in mine actually carried out vis – a –vis to the proposals of approved progressive mine closure plan for mineral conservation & mine rehabilitation required to be submitted up to 1 July 2016 to the Regional Controller has not been submitted till date.
02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियम 13(2) के अंतर्गत
- (क) खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
  - (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
  - (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

( एच.सी.शर्मा )  
वरि सहायक खान नियंत्रक  
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

मूल पर नहीं / प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

- 1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
- 2) खान अभियन्ता, Kota को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वरि सहायक खान नियंत्रक  
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो